न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 104/06 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मायादेवी धर्मपत्नि भूपसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बहरोड बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांट प्रार्थीनी

बनाम

1 प्रधानाचार्य, सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर बहरोड तह0 बहरोड
2 राधेश्याम पुत्र गंगादीन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मौ0 जैतपुरा
3 सुरेश पुत्र बनवारीलाल यादव जाति अहीर निवासी बड़ा बाजार कुंड रोड बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान
4 किशनलाल पुत्र श्योजीराम गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान
5 सुरेशचन्द शर्मा पुत्र नत्थूराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अटीकों की धर्मशाला के पास, बहरोड
6 राजेन्द्र पुत्र मातादीन गुप्ता जाति महाजन निवासी जनहित मैडिकल हाल, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड जिला अलवर
7 राजकुमार पुत्र विष्णुदत्त पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी मौ0जैतपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान
8 मानसिंह पुत्र किशोरीलाल धानक निवासी मौ0 जैतपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रतिवादीगण रेस्पो0

Scanned with Cam

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बहरोड

दिनांक 13.6.2006

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जगदीश प्रसाद यादव

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जगदीश प्रसाद यादव

2. वकील रेस्पो0सं0 1से6:- श्री विनोद कुमार यादव

3. वकील रेस्पो0 सं07,8 :- श्री गुरूदत्त यादव

निर्णय दिनांक

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2006 में पारित निर्णय दिनांक 13.6.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 279, 66, 65, 67, 69 तथा इस आराजी पर वादी के आवागमन का रास्ता 30 फुट चौडा, जिसके तरफ दक्षिण को वादनी की उक्त आराजीयात तरफ उत्तर को नाला व बहरोड से तसिंग रोड तरफ पूर्व को सरस्वती आदर्श विदध्या मंदिर परिसर तरफ पश्चिम को लालाराम यादव की भूमि वाके बहरोड तरफ नैनसुख्या तहसील बहरोड जिला अलवर विवादित भूमि है । विवादित आराजी व रास्ता से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है । विवादित रास्ता में से होकर ग्राम तसिंग व बहरोड का, स्वयं का बरसाती पानी बहकर निकलता है और आगे जोहड में जाता है । इस रास्ता विवादित में होकर ही वादनी अपनी आराजी विवादित तक वाहन, पैदल, पशुधन सहित आवागमन करती है । यह रास्ता कदीमी है । इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अप्रार्थीगण उक्त

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बहरोड

Scanned with Cam

विवादित रास्ता को बंद करने एवं निर्माण करने की फिराक में है । अतः उन्हे पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 08 के इकबाल दावा से एवं मौके की रूह से प्राईमाफेसी तौर पर विवादित रास्ता होना प्रमाणित है । प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण इस रास्ते को अवरूद्ध कर निर्माण कार्य करने पर आमदा है । अप्रार्थीगण के जवाब आदि में यह तथ्य आये हैं कि जनता के सहायोग से मंदिर की सुरक्षा हेतु व स्कूल की सुरक्षा हेतु इस जगह निर्माण किया जा रहा है, परन्तु उन्होंनेअपने जवाब दावा में यह कहीं भी नहीं बताया कि उक्त खाटू श्याम बाबा के मंदिर की स्वीकृति उन्हें इस जमीन के बारे में मिली या नहीं । विवादित रास्ता को अवरूद्ध करने का कोई अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है । धारा 212 के तीनों बिन्दू वादनी अपीलांटा के पक्ष में साबित है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांटा जिस तरफ रास्ता मांग रही है, उस तरफ कभी भी रास्ता नहीं रहा है । वह भूमि मंदिर श्याम बाबा की है, जिसमें इस समय श्री श्याम सरस्वती विद्ध्या मंदिर चल रहा है । चार दीवारी बनी हुई है । जिधर से रास्ता मांगा जा रहा है, वहां पचासों साल पुराना बड का पेड खडा हुआ है । कदीमी रास्ता कभी भी नहीं रहा है । अपीलांटा अपने खेतों की डोलों से होकर आती जाती है । मंदिर की भूमि खसरा नम्बर 1110, 1111, 1112 है, जिसको मिलाकर एक ही सीमा बनाई हुई है । इसमें किसी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता नहीं है । राजस्व न्यायालय को नया रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है । इसके लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है । हम रेस्पो0 अप्रार्थीगण ग्रामवासियों के सहयोग से मंदिर की सुरक्षा एवं व्यवस्था हेतु निर्माण कार्य कर रहे हैं । उसे रूकवाने का अपीलांटा वादनी को कोई अधिकार नहीं है । धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों बिन्दू अपीलांटा वादनी के पक्ष में न होकर हम रेस्पो0 अप्रार्थीगण के पक्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

में है । तहत न्यायालय ने सही तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2054 के अनुसार अपीलांटा आराजी खसरा नम्बर 279, 66, 65, 67, 69 की खातेदार है । उसका कहना है कि इस भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौडा रास्ता है । परन्तु रास्ते सम्बन्धी राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रार्थीनी ने तहत न्यायालय की पत्रावली में जो नीला नक्शा प्रस्तुत किया है, उसमें विवादित रास्ता को सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है । अगर वादनी को लगता है कि रास्ता आम एवं कदीमी है तो रास्ते सम्बन्धी नियम / अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें । उपरोक्त विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटा खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.6.2006 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned with Cam